अनुलग्नक–अ

(सन्दर्भ प्रस्तर 6.2)

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति–2017 के अन्तर्गत प्रोत्साहन के लिए आवरण–पत्र

(कम्पनी के लेटर पैड पर)

सेवा में,

मिशन निदेशक
इलेक्ट्रानिक्स मिशन निदेशालय
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

विषयः उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति–2017 के अन्तर्गत प्रोत्साहन की मॉग

महोदय,

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति–2017 और तत्सम्बन्धी शासनादेशों के परीक्षणोंपरान्त हम, अधोहस्तक्षरी, एतद्द्वारा अपना आवेदन–पत्र (**अनुलग्नक–ब**) संलग्न करते हुए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति–2017 में वर्णित प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की मॉग करते हैं।

हम पुष्टि करते हैं कि विभाग को प्रस्तुत किये जा रहे अनुलग्नकों, वित्तीय प्रलेखों, घोषणाओं, प्रमाणन, प्रदर्शों एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ–साथ आवेदन–पत्र अथवा उसके किसी भाग में निहित सभी सूचनायें सत्य, सही एवं परिपूर्ण हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसमें निहित कथन किसी महत्वपूर्ण तथ्य के प्रति विभाग को पूर्णतः अथवा अंशतः भ्रमित नहीं करते, इस आवेदन में समस्त आवश्यक सूचनायें समाविष्ट हैं।

हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, इसके पूर्व दी गई सूचनायें और अन्य संलग्न पत्रादि सभी प्रकार से सत्य और सही हैं। हम वचनबद्ध हैं कि राज्य सरकार की अन्य किसी योजना के अन्तर्गत आवेदक द्वारा इस प्रकार के अन्तर्गत प्रोत्साहन की मांग न तो पहले की गई है और न ही प्राप्त किया गया है। हम पुनः यथा आवश्यकता, विवरणों को अभिलेखीय साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करने का वचन देते हैं।

हम सहमत हैं कि हमारे आवेदन को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का आपके विवेकाधीन पूर्णाधिकार है।

हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि हमें अपने निगम/कम्पनी/फर्म/संगठन की ओर से कार्यवाही करने तथा इस दस्तावेज एवं ऐसे अन्य दस्तावेजों को, जोकि इस सम्बन्ध में आवश्यक हो, को हस्ताक्षरित करने का अधिकार है।

स्थान
तिथि

स्वामी/साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक के
हस्ताक्षर एवं मुहर

अनुलग्नक–ब
(सन्दर्भ प्रस्तर 6.2)

आवदेन–पत्र

(क)	**इकाई का विवरण**				
a.)	नाम				
b.)	प्रबन्ध निदेशक / प्रबन्धन साझीदार / स्वामी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम				
c.)	इकाई का पता				
d.)	दूरभाष नं0				
e.)	सम्पर्क किये जाने वाले व्यक्ति का मोबाइल नॅ0				
f.)	फैक्स नॅ0				
g.)	ई–मेल				
h.)	वेबसाइट				
i.)	पंजीयन प्रमाण–पत्र संख्या				
j.)	जी.एस.टी. पॅजीयन सं0				
k.)	परमानेन्ट एकाउण्ट सं0 (PAN)				
l.)	संगठन का संविधान	स्वामित्व वाली	☐	साझेदारी	☐
		प्राइवेट लिमिटेड	☐	सहकारी	☐
		सार्वजनिक	☐	समिति	☐
m.)	व्यवसाय / परिचालन आरम्भ की तिथि				
n.)	इकाई के व्यवसाय एवं विनिर्माण की प्रकृति, प्रस्तावित उत्पादों, स्थापित निर्माण क्षमता तथा विस्तारित निर्माण क्षमता (यदि कोई हो) का विवरण				
o.)	आवेदक के विगत तीन वर्षों का वार्षिक व्यवसाय (टर्न–ओवर)				
p.)	विगत तीन–वर्षों में कराधान के उपरान्त लाभ का विवरण				
q.)	भूमि का विवरण (अ) आवेदक का स्थल (ब) साइट रेडीनेस (स) भूमि का क्षेत्रफल (द) भूमि क्रय की गई / पट्टे की है (य) भूमि का मूल्य / प्रीमियम				
r.)	सृजित / सम्भावित रोजगार (अ) प्रबन्धकीय (ब) पर्यवेक्षक (स) कुशल (द) अकुशल				
(ख)	**वित्त पोषण का विवरण**				
	a.) प्रोमोटर्स / साझेदारों / अंशधारकों के अंशक (ईक्विटी)				
	b.) सावधि ऋण (टर्म–लोन)				

	c.) किराया–क्रय (हायर–परचेज)					
	d.) लीजिंग					
	e.) सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू)					
	f.) अधिमान निर्गम (प्रफरेन्स इश्यू)					
	g.) अन्य					
(ग)	**सावधि ऋण (टर्म लोन) का विवरण**					
a.)	बैंक / वित्तीय संस्थान का नाम, पता व दूरभाष सं.					
b.)	स्वीकृत ऋण धनराशि					
c.)	ऋण स्वीकृति आदेश एवं तिथि					
d.)	वितरित ऋण राशि					
e.)	ऋण वितरण की तिथि					
f.)	ऋण की प्रकृति					
g.)	ब्याज की दर					
h.)	स्थिर पूँजी निवशन					
	(1) भूमि					
	(2) भवन					
	(3) प्लाण्ट एवं मशीनरी					
	(4) अन्य स्थिर परिसम्पत्तियॉ					
	(5) अन्य					
	योग					
i.)	दावा की गई पूँजी उपादान धनराशि					
(घ)	**आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज**					
a.)	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाण–पत्र सहित, प्रथम विक्रय बीजक (First Sales Invoice) की प्रति	हॉ		नहीं		
b.)	वर्ष के दौरान दाखिल वाणिज्य–कर विवरणी की प्रति	हॉ		नहीं		
c.)	पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति	हॉ		नहीं		
d.)	जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति	हॉ		नहीं		
e.)	PAN CARD की प्रति	हॉ		नहीं		
f.)	विद्यमान क्षमता हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ड / सांविधिक सम्परीक्षक का प्रमाण–पत्र	हॉ		नहीं		
g.)	वित्तीय सहायता हेतु बैंक / वित्तीय संस्था को प्रस्तुत व उनके द्वारा स्वीकृत परियोजना प्रस्ताव (प्रोजेक्ट रिपोर्ट) की प्रति	हॉ		नहीं		
h.)	बैंक / वित्तीय संस्थान द्वारा स्वीकृत ऋण का विवरण, देय ब्याज की दर, देय ब्याज की धनराशि तथा आवेदक इकाई / कम्पनी द्वारा अदा किये गये ब्याज की धनराशि तथा बैंक / वित्तीय संस्थान द्वारा उसकी पुष्टि सम्बन्धी अभिलेख / प्रमाण–पत्र	हॉ		नहीं		

<table>
<tr><td>i.)</td><td>नीति घोषित किये जाने के पश्चात एवं आवेदन की तिथि तक प्लाण्ट और मशीनरी की स्थापना पर जो निवेश किया गया है, उसका मदवार विवरण व उसकी पुष्टि समबन्धी अभिलेख / प्रमाण–पत्र</td><td colspan="3">हॉ ☐ नहीं ☐</td></tr>
<tr><td rowspan="5">j.)</td><td rowspan="5">चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाण–पत्र सहित, आवेदक द्वारा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति–2017 के अन्तर्गत प्राप्त किये गये प्रोत्साहन / छूट का, अद्यतन विवरण</td><td>प्रोत्साहन / छूट की प्रकृति</td><td>तिथि</td><td>धनराशि</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>k.)</td><td>भारत सरकार द्वारा प्रदत्त / इकाई द्वारा ली गई एम–सिप्स, इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स / ई.एस.डी.एम. पार्क्स अथवा एकल ई.एस.डी.एम. इकाई से सम्बन्धित किसी अन्य छूट का विवरण</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>l.)</td><td>आवेदक के बैंक खाते का विवरण जिसमें अनुमोदन की स्थिति में उपादान की धनराशि हस्तान्तरित की जायेगी (बैंक का नाम, खाता नॅ. तथा आई.एफ.एस.सी. कोड)</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

स्थान
तिथि

स्वामी / साझेदार / प्रबन्ध निदेशक / निदेशक के
हस्ताक्षर एवं मुहर

अनुलग्नक–स

संयन्त्र एवं मशीनों पर निवेश के सम्बन्ध में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण–पत्र

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के लेटर हेड पर)

संख्याः दिनॉक :

जिससे भी सम्बन्धित हो

एतद्द्वारा सत्यापित किया जाता है कि सर्वश्री ..... के पंजीकृत कार्यालय ..... तथा फैक्ट्री ..... पर उपलब्ध लेखा पुस्तों के अनुसार, पूॅजी उपादान प्रोत्साहन की प्राप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुति के दिनॉक को, भूमि को छोड़कर कुल स्थिर पूॅजी निवेश रू ..... (रूपये ....) था। पुनः सत्यापित किया जाता है कि स्थिर पूॅजी निवेश के अन्तर्गत पुराने प्लाण्ट एवं मशीनरी की लागत को सम्मिलित नहीं किया गया है।

स्थान
तिथि

हस्ताक्षर एवं मुहर

अनुलग्नक–द

वचन–पत्र

मैं .....(नाम) आयु लगभग ... वर्ष पुत्र श्री ..... निवासी ..... – एतद्द्वारा निम्नवत् वचन देता हूँ:–

1 यह कि अधोहस्ताक्षरी–प्रार्थी सर्वश्री ..... (नाम) जिसका पॅजीकृत कार्यालय .....(पता) एवॅ फैक्ट्री ....(पता) पर है, का स्वामी/साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक* है।

2 यह कि सर्वश्री ..... द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की इलेक्ट्रानिक्स निर्माण नीति–2017 में विहित व्यवस्थानुसार, पूॅजी उपादान की प्राप्ति हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

3 यह कि भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय की परिभाषा के अन्तर्गत आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* – सर्वश्री ..... एक पूरक/सूक्ष्म/लघु*उद्यम है तथा ब्याज उपादान हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय कार्यरत/ उत्पादनरत* थी तथा फर्म/कम्पनी/ प्रतिष्ठान* निरन्तर कार्यरत/ उत्पादनरत* रही है।

4 यह कि आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* द्वारा केन्द्र सरकार/प्रदेश सरकार/ वित्तीय संस्थान आदि* की किसी भी योजना के अन्तर्गत ब्याज उपादान/ प्रतिपूर्ति* प्राप्त नहीं की गई है।

अथवा

4 यह कि आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* द्वारा केन्द्र सरकार/प्रदेश सरकार/ वित्तीय संस्थान* को ब्याज उपादान/ प्रतिपूर्ति* के लिए दावा किया गया था और रू ..... (रूपये .....) .....(बैंक) के चेक/ड्राफ्ट/आर.टी.जी.एस. के माध्यम से ब्याज उपादान/प्रतिपूर्ति* के रूप में प्राप्त किया गया है।

5 यह कि यदि आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* को ब्याज उपादान/प्रतिपूर्ति प्राप्त होती है तो इस तथ्य की उद्घोषणा मैं आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* की ओर से केन्द्र सरकार/प्रदेश सरकार/ वित्तीय संस्थान* इत्यादि द्वारा संचालित इसी प्रकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन/अनुदान/उपादान/प्रतिपूर्ति का दावा करते समय करूॅगा।

6 यह कि अधोहस्ताक्षरी स्वयं तथा आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* की ओर से वचन देता है कि उपरोक्त उद्घोषणा गलत अथवा असत्य अथवा भ्रामक पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त उल्लिखित कार्यकलाप के लिए प्राप्त की गई पूर्ण धनराशि का भुगतान लिखित मॉग किये जाने से सात दिनों के अन्दर कर देगा एवं ऐसा कर पाने में असफल रहने पर शासन को अधिकार होगा कि वह प्रोत्साहन राशि की वसूली 15 प्रतिशत ब्याज सहित भू–राजस्व की भॉति कर ले।

स्थान
तिथि

प्रार्थी

परिशिष्ट–1

(सन्दर्भः शासनादेश सॅख्या ..... दिनॉक .....)

1 ''इकाई'' का तात्पर्य ई.एस.डी.एम. उद्योग से सम्बन्धित ऐसी पूर्ण स्वामित्व वाली (Proprietorship) कम्पनियों, समितियों, साझेदारी आदि नई इकाइयों से है जिनके द्वारा शासनादेश जारी होने की तिथि से 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर सावधि ऋण एवं कार्यशील पूॅजी हेतु ऋण की धनराशि वित्तीय संस्थान से प्राप्त कर व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ कर दिये गये हों

2 ''कम्पनी'' से तात्पर्य ई.एस.डी.एम. उद्योग से सम्बन्धित ऐसी कम्पनी से है, जिसका गठन कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत किया गया हो।

3 ''सोसायटी'' से तात्पर्य ई.एस.डी.एम. उद्योग से सम्बन्धित ऐसी सोसायटी से है, जिसका गठन सोसायटीज अधिनियम 1980 के अन्तर्गत किया गया हो।

4 ''पार्टनरशिप'' से तात्पर्य ऐसी साझेदारी फर्म से है जिसका गठन भारतीय साझेदारी अधिनियम–1932 के अन्तर्गत किया गया हो।

5 ''बैंक/वित्तीय संस्थान'' से तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित समस्त बैंकों तथा ऐसे सभी वित्तीय संस्थानों से है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित हैं और जिनका नियमन उसके द्वारा किया जाता है।

6 ''वर्ष का तात्पर्य दिनॉक 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि से है।

7 ''इलेक्ट्रानिक्स मिशन निदेशालय'' का तात्पर्य राज्य में इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन में स्थापित हो रहे इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग उद्योग की स्थापना के लिए स्थायी मिशन निदेशक अथवा शासन द्वारा नामित अधिकारी के नेतृत्व में एक समर्पित मिशन निदेशालय से है।

8 ''स्थिर पूॅजी निवेश'' का तात्पर्य भूमि को छोड़कर, स्थिर पूॅजी पर निवेश से है जिसका मूल्यांकन किया जायेगा और यह अलग–अलग मामलों में भिन्न–भिन्न हो सकती है।

9 ''ई.एस.डी.एम. उद्योग'' का तात्पर्य इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम डिजाइन एवॅ मैन्युफैक्चरिंग उद्योग है जिसके अन्तर्गत उदाहरणस्वरूप निम्नवत् मुख्य घटक सम्मिलित हैं, किन्तु यहीं तक सीमित नहीं हैंः–

इलेक्ट्रानिक्स उत्पाद

क मोबाइल उपकरण : मोबाइल हैण्डसेट
ख दूरसॅचार उपकरण : मॉडेम, राइटर्स, स्विचेज इत्यादि
ग उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स : टीवी, डीवीडी प्लेयर्स, डिजिटल कैमरे, सेट टॉप बॉक्सेज इत्यादि
घ आटोमोबाइल इलेक्ट्रानिक्स : विद्युत वाहन, पावर विन्डो इत्यादि
च औद्योगिक इलेक्ट्रानिक्स : पावर इलेक्ट्रानिक्स, एल.ई.डी. लाईटिंग, सीएफएल, एनर्जी मीटर इत्यादि
छ सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली एवं हार्डवेयर : डेस्कटॉप, नोटबुक, टैबलेट, मॉनीटर्स, मेमोरी कार्ड इत्यादि
ज अन्य इलेक्ट्रानिक्स : एयरोस्पेस, रक्षा उपकरण सहित सामरिक उपकरण

इलेक्ट्रानिक कम्पोनेन्ट्स

अ एक्टिव कम्पोनेन्ट्स : ट्रॉजिस्टर्स, डॉयोड्स तथा सी.आर.टी
ब पैसिव कम्पोनेन्ट्स : रेजिस्टर्स तथा कैपेसिटर्स
स इलेक्ट्रोमेकेनिकल कम्पोनेन्ट्स : पीसीबी, पावर डिवाइसेज, रिले इत्यादि

सेमीकन्डक्टर डिजाइन

अ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेण्ट
ब वीएलएसआई डिजाइन
स हार्डवेयर/बोर्ड डिजाइन

उक्त उल्लिखित उत्पादों के अतिरिक्त, भारत सरकार की एम–सिप्स गाइडलाईन्स में शामिल उत्पाद भी ई.एस.डी.एम. उद्योग में सम्मिलित होगें।

10 **इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज (ई.एम.एस.)** का तात्पर्य मूल उपकरण निर्माताओं (ओ.ई.एम.) के लिए इलेक्ट्रानिक कम्पोनेन्ट्स तथा असेम्बलीज की डिजाइनिंग, टेस्टिंग, निर्माण, वितरण एवं अनुरक्षण कार्य करने वाली इकाई से है।

11 ''इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लसटर्स (ई.एम.सी)'' का तात्पर्य राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक्स नीति 2012 के अन्तर्गत पारिभाषित भारत सरकार द्वारा अनुमोदित ई.एम.सी. से है जो इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम्स डिजाइन तथा विनिर्माण (ई.एस.डी.एम.) क्षेत्र के संवर्धन को बढ़ावा देंगे। ये क्लसटर्स उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स, विद्युतीकरण, पावर इलेक्ट्रानिक्स, कम्प्यूटर/सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार एवॅ इसी प्रकार के अन्य विभिन्न उपकरणों उनकी पूरी श्रॅखला के लिए इलेक्ट्रानिक कम्पोनेन्ट्स, पार्ट्स, सब–असेम्बलीज, सामग्री के विनिर्माण हेतु उद्यमों की स्थापना को सुगमता हेतु हैं।

12 ''फैब इकाई'' वह सेमीकण्डक्टर संरचना सॅयंत्र है, जहॉ इण्टीग्रेटेड सर्किट्स (ICs) चिप जैसी सामग्री निर्मित होती है।

13 ''राज्य अधिकरण'' से तात्पर्य विकास प्राधिकरण, आवास परिषद, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम, सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य की अन्य संस्था से है।

14 ''व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ की तिथि'' का तात्पर्य चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से प्रमाणित, नये स्थायी पूॅजी निवेश के माध्यम से निर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं (Goods and Services) की बिक्री की प्रथम तिथि से है।

15 नीति कार्यान्वयन इकाई (पी0आई0यू0) का तात्पर्य उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति–2017 के प्रस्तर 3.5 में पारिभाषित नीति कार्यान्वयन इकाई से है।